कार्यालय– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ), समग्र शिक्षा अभियान (SMSA)

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/बाल संरक्षण (18)/वो–2/2025 दिनांक : As in E-Sign

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

(अत्यावश्यक)

विषय :– State wise online review meeting with the members of District Task Force u/s 17c of Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 2017

प्रसंग :– वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर का पत्र क्रमांक : प. 24(34)शिक्षा–6/2017/पार्ट1–00265 दिनांक : 20.02.2025

सन्दर्भ :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक : 11.02.2025

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रसंग एवं सन्दर्भितानुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का गठन भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम 2005 (2006 का क्रमांक 4) की धारा 3 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है, जिसका उद्देश्य बाल अधिकारों के संरक्षण और संबंधित मामलों से निपटना है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम 2005 की धारा 13(1) के तहत, बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ कार्य प्रदान किए गए हैं, जिनमें विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर पड़े बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जानी सम्मिलित है। इसके अलावा, आयोग को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी करने का भी अधिकार दिया गया है।

अपने अधिदेश के तहत, आयोग बाल और किशोर श्रम के उन्मूलन की दिशा में बचाव अभियान, कार्यक्रम, अनुसंधान और तथ्य खोज अध्ययन आदि जैसे विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इसे आगे बढ़ाते हुए, एनसीपीसीआर ने प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के जिला टास्क फोर्स के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की थीं, जिसका उद्देश्य उनकी कार्यक्षमता, डेटा के बारे में जानकारी एकत्र करना और अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में बचाव और पुनर्वास की प्रक्रियाओं के दौरान अधिकारियों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा करना था। इस प्रकार आयोग ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जिला टास्क फोर्स के सदस्यों की कार्यक्षमता और व्यावहारिकता की व्यापक समझ रखने की पहल की है।

तदनुसार, बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 2017 की धारा 17सी और बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जिला टास्क फोर्स के सदस्य होने के नाते उनकी कार्यक्षमताओं के साथ–साथ उनके

RajKaj Ref No.: 13905288

योगदान की गहन समझ प्राप्त करने के लिए, 17 फरवरी, 2025 से 8 अप्रैल, 2025 तक राज्यवार समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

इसी क्रम में लेख है कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम, 2017 की धारा 17सी के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ राजस्थान राज्य की ऑनलाइन समीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक : 18.03.2025 को समय : 11:00 AM पर किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें सन्दर्भितानुसार उल्लेखित सदस्यों को अन्य आवश्यक महत्वपूर्ण कार्यो के साथ समन्वयको भाग लेना हैं।

अतः उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) के सम्बन्ध में किये जा रहे विभागीय प्रयासों एवं उनकी कियान्विति बाबत **सम्बन्धित जिलेवार संक्षिप्त रिपोर्ट** तैयार करवाते हुए जिला टास्क फोर्स के सदस्यों को निर्धारित तिथि एवं समय पर अपनी भागीदारी उक्त ऑनलाइन समीक्षा बैठक में सुनिश्चित किये जाने बाबत निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करावें।

नोट :– प्रदत्त निर्देशों की पालना में जारी दिशा–निर्देश की एक प्रति (मय सम्बन्धित जिलेवार संक्षिप्त रिपोर्ट) इस कार्यालय की ई–मेल आई.डी. massecondary@gmail.com पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवायी जानी सुनिश्चित करेंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न : यथोक्त।

(डॉ. अरूण कुमार शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
3. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (जरिये ई–मेल)।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करवाये जाने बाबत (जरिये ई–मेल)।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु (जरिये ई–मेल)।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक शिक्षा को पालनार्थ (जरिये ई–मेल)।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा (जरिये ई–मेल)
8. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref No.: 13905288

RajKaj Ref No.: 13905288

राजस्थान–सरकार
शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः–प.24(34)शिक्षा–6 / 2017 / पार्ट1–00265 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

निदेशक,
प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा,
बीकानेर, राजस्थान।
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय
(नोडल अधिकारी– राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, NCPCR)
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

विषयः–State wise online review meeting with the members with the members of District Task Force u/s 17C of Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 2017

संदर्भः– अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली का पत्र अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांकः 1601/44/2024-25/DTF/ECL दिनांक 11.02.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम, 2017 की धारा 17सी के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ राज्यवार ऑनलाइन समीक्षा बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2025 से 8 अप्रैल, 2025 तक आयोजित की जा रही है। संलग्न पत्र के अनुसार राजस्थान राज्य की ऑनलाइन समीक्षा बैठक **दिनांक 18.03.2025** को निर्धारित है। जिला टास्क फोर्स के सदस्यों की सूची पत्र में संलग्न है।

अतः पत्र में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार टास्क फोर्स में सम्मिलित शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार समुचित आवश्यक कार्यवाही करवाये जाने का श्रम करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बृजरतन प्रजापत)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली को आपके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांकः 1601/44/2024-25/DTF/ECL दिनांक 11.02.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

RajKaj Ref No.: 13737670

RajKaj Ref No.: 13737670

रूपाली बनर्जी सिंह
Rupali Banerjee Singh
सदस्य सचिव
Member Secretary

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

NCPCR

SODS-5

D-059
14 FEB 2025

File No.: 1601/44/2024-25/DTF/ECL/ DD 39288

Date: 11/02/2025

To,

District Magistrates (As per the list attached)

Sarita
11/2/25

Subject: -State-wise-online review meeting with the members of District Task Force u/s 17C of Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 2017.

Madam/ Sir,

The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has been constituted by the Government of India, as a statutory body under the section 3 of the Commission for Protection of Child Rights (CPCR) Act, 2005 (No. 4 of 2006) for dealing with the protection of child rights and related matters. Under section 13(1) of the Commission, for Protection of Child Rights (CPCR) Act, 2005, has provided certain functions to ensure that the rights of children are protected especially the most vulnerable and marginalized. In addition, the Commission has also been mandated to monitor the implementation of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015, Right of Children to Free & Compulsory Education (RTE) Act, 2009 and the Prevention of Children from Sexual Offences Act, 2012.

2. Under its mandate, the Commission has been conducting various activities towards elimination of child and adolescent labour such as rescue operations, programs, research & fact-finding studies etc. Taking this forward, NCPCR had organizedcomprehensive month long review meetings with the District Task Forces of each States/UTs with an objective to gather information regarding their functionalities, data, and to have a thorough discussion on various issues faced by the authorities during the procedures of rescue and rehabilitation in their respective jurisdiction, etc.**Therefore, on a similar note, the Commission has taken an initiative of having a comprehensive understanding of the functionalities and practicality of the members of the District Task Force of all States/UTs.**

3. Accordingly, to have an in-depth apprehension of their functionalities as well as their contributionbeing the members of the District Task Force u/s **17C of Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 2017** and **Standard Operating Procedure for Enforcement of the The Child and Labour Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986,** state -wise review meeting continue being organised from **17th ,February, 2025 to 8th april,2025** The schedule is enclosed as per Annexure A.**The following are the members of the District Task Force who are to be present during the online sessions-**

You are requested to ensure the participation of all the following members of the District Task Force (DTF) along with Medical officeri.e.-

- Inspector appointed under section 17 of CALPR Act, for the purpose of his local limits of jurisdiction.
- Superintendent of Police for the purpose of the local limits of jurisdiction.

- Additional District Magistrate for the purpose of his local limits of jurisdiction.
- Nodal Officer referred to under clause (i) for the purpose of his local limits of jurisdiction.
- Assistant Labour Commissioner (Central) for the purpose of his local limits of jurisdiction.

- Two representative each from a voluntary organisation involved in rescue and rehabilitation of employed children in the district on rotation basis for a period of two years.
- A representative of the District Legal Services Authority to be nominated by the District Judge.
- A member of the District Anti-trafficking Unit.
- Chairperson of the Child Welfare Committee of the District.
- District Child Protection Officer in the District under the Integrated Child Protection Scheme of the Ministry of the Government of India dealing with women and child development.
- District Education Officer.
- Any other person nominated by the District Magistrate.

4. The Nodal Officer of the DTF from each district is required to attend the upcoming review meeting. Kindly provide the details of the representatives from the mentioned DTF members who will be participating, at least 10 days prior to the meeting. Please send the information to ms.ncpcr@nic.in, with a copy to payal.ncpcr@gov.in. For any queries or further coordination, please reach out to Ms. Payal Sharma, Consultant, Child Labour, at phone: 23478270/9871719275. She will be the point of contact from NCPCR.

Yours sincerely,

(Rupali Banerjee Singh)

Encl. as above.

Copy to:

1. The Principal Secretaries (Department of Labour, Department of Women and Child Development/Social Welfare, Department of School Education) (as per attached list for necessary action).

2. The Chairperson, State Commission for Protection of Child Rights (SCPCR) (as per attached list for necessary information).

3. The Member secretary of State Legal Services Authority (as per attached list for necessary action).

Annexure-A

Review Meeting of District Task Force (DTF) 17th February to 08th April 2025

Subject-State-wise online review meeting with the members of District Task Force (U/S)

India All State & UT				
S.No.	State	Total No. of District	Date	Time
1	Andhra Pradesh	26	17.02.2025	11.00 AM
2	Arunachal Pradesh	26	18.02.2025	11.00 AM
3	Assam	35	19.02.2025	11.00 AM
4	Bihar	38	20.02.2025	11.00 AM
5	Chhattisgarh	33	21.02.2025	11.00 AM
6	Gujarat	33	24.02.2025	11.00 AM
7	Haryana	22	25.02.2025	11.00 AM
8	Jharkhand	24	27.02.2025	11.00 AM
9	Goa/Sikkim/Tripura	02,06,08	28.02.2025	11.00 AM
10	Kerala	14	03.03.2025	11.00 AM
11	Madhya Pradesh	45	04.03.2025	11.00 AM
12	Uttar Pradesh	75	05.03.2025	11.00 AM
13	Himachal Pradesh	12	06.03.2025	11.00 AM
14	Maharashtra	36	07.03.2025	11.00 AM
15	Karnataka	31	10.03.2025	11.00 AM
16	Manipur	16	11.03.2025	11.00 AM
17	Meghalaya	12	12.03.2025	11.00 AM
18	Mizoram	11	13.03.2024	11.00 AM
19	Odisha	30	17.03.2025	11.00 AM
20	Rajasthan	50	18.03.2025	11.00 AM
21	Tamil Nadu	38	19.03.2025	11.00 AM
22	Telangana	33	20.03.2025	11.00 AM
23	Nagaland	16	21.03.2025	11.00 AM
24	Punjab	23	24.03.2025	11.00 AM
25	Uttarakhand	13	25.03.2025	11.00 AM
26	West Bengal	23	26.03.2025	11.00 AM

India UT State				
S.No.	State		Date	Time
1	Andaman and Nicobar Island	3	27.03.2025	11.00 AM
2	Chandigarh	1	28.03.2025	11.00 AM
3	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	3	01.04.2025	11.00 AM
4	Delhi	11	02.04.2025	11.00 AM
5	Ladakh	2	03.04.2025	11.00 AM
6	Lakshadweep	1	04.04.2025	11.00 AM
7	Jammu and Kashmir	20	07.04.2025	11.00 AM
8	Puducherry	4	08.04.2025	11.00 AM